RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एवं इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको)

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005, फोन–0141–2227751, 4593201

ई–मेल–riico@riico.co.in वेबसाईट– riico.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड़ के हस्तान्तरण पर क्रेता उद्यमी/हस्तान्तरी को रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 के नियम 21.3.7(बी) सपठित 23–सी.2 के तहत भूखण्ड के हस्तान्तरण आदेश जारी होने की तिथि से उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ किये जाने के लिए 2 वर्ष की अवधि प्रदान की गयी है।

रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों के हस्तानान्तरण पर पूर्व में प्रचलित रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 में संशोधन जरिये आदेश (29/2025) क्रमांक आईपीआई/पी.6/पॉलिसी/294/2023/723 दिनांक 16.07.2025 द्वारा संशोधित नियम 21.3.7 (बी) सपठित 23.सी.2 के अनुसार अब सभी क्रेता उद्यमियों को पंजीकृत सेल डीड/कन्वेन्स डीड के निष्पादन की दिनांक से 02 वर्ष की समयावधि में पुनः उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है, अन्यथा उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ करने में हुए विलम्ब पर नियमानुसार धारण शुल्क देय होगा एवं रीको निर्धारित समयावधि में उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नही किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

अतः आमजन को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा क्रय किये गए रीको के भूखण्डों की पंजीकृत सेल डीड/कन्वेन्स डीड मय अन्य आवश्यक दस्तावेज की सूचना रीको के संबंधित इकाई कार्यालय में SSO ID के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें तथा मूल दस्तावेज इकाई कार्यालय में जमा करवाकर भूखण्ड के Lease hold Rights का हस्तानान्तरण अपने पक्ष में करवाना सुनिश्चित करें।

रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 यथा संशोधित, रीको की वेबसाईट https://riico.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है। अन्य सूचना हेतु संबंधित इकाई कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

सलाहकार (इन्फ्रा)

Raj.Samwad/C/25/

8x6